न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 212/17

तारीख रजू— 07/09/2017

1. बिरदी चन्द पुत्र श्री श्योबक्स जाति मीना उम्र 80 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेल्वे कोलोनी तह0 व जिला सवाई माधोपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति नारायणी देवी पत्नि स्व0 श्री रामगोपाल जाति मीणा उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बाढ करोल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

—रेस्पोडेन्टान

निर्णय दिनांक— 11.1.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम आलनपुर के नामान्तकरण संख्या 1195 मे पारित निर्णय दिनांक 10/09/2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा रेस्पों सं0 1 के पुत्र कन्हैयालाल के फौत हो जाने पर कन्हैयालाल की ग्राम आलनपुर में स्थित भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है।साथ ही नामान्तरकरण सं0 1195 निर्णय दिनांक 10/09/2004 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रकरण में रेस्पों0 सं0 1 को रजि0 नोटिस भिजवाये एक माह से अधिक समय हो जाने के कारण रेस्पों0 सं0 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अदालत मातहत के मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि स्व0 की रामगोपाल जो कि रेस्पों0 सं0 1 का पति था के फौत हो जाने पर स्व0 रामगोपाल की संयुक्त आराजीयात ख0नं0 444 व खाता सं0 442 (नया 193 की 1/10 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण स्व0 रामगोपाल की पहली पत्नि से उत्पन्न पुत्रान प्रहलाद, रामफूल, रोशनलाल, कालूराम तथा दूसरी पत्नि रेस्पों0 सं0 के पुत्र कन्हैयालाल के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया था तथा रेस्पों0 सं0 ने कन्हैयाला की मृत्यु के पश्चात् गुप—चुप तरिके से तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पों0 सं0 2 से साठं गांठ कर नियमों के खिलाफ जाकर रेस्पों0 सं0 2 ने रेस्पों0 सं0 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त नामान्तकरण सं0 1195 में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा भू—अभिलेख निरीक्षक को सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किए गये है। लेकिन तहसीलदार द्वारा न्यायालय से उत्त्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

बिरदी चन्द पुत्र श्री श्योबक्स जाति मीना

निवासी रेल्वे कोलोनी तह0 व जिला

17/A

किए बिना एक दूसरा नामान्तकरण सं0 1195 सीधे ही तस्दीक कर दिया जो निरस्त योग्य है,साथ ही वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1195 निर्णय दिनांक 10/09/2004 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1195 निर्णय दिनांक 10/09/2004 में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया हुआ है। जबकि अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1195 निर्णय दिनांक 10/09/2004 में उक्त आदेश का कहीं भी अंकन नहीं किया हुआ है। इस प्रकार दोनों नामान्तकरणों में भिन्नता होने के कारण उक्त अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1195 आदेश दिनांक 10/09/2004 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर तथा विधिक वारिसान/उत्तराधिकार की जांच कर अन्दर तीन माह में आदेश प्रतिपादित करे।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर